२०/०५/२५ पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS 2024/419

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 208 GCMS:- 2024/419 दायर दिनांक : 28.06.2024

1. सुचित कोठारी पुत्र सुशील कुमार कोठारी जाति माहेश्वरी निवासी वार्ड सं. 20, पुराना बाजार, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. अनिल चुघ पुत्र हुक्मचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड सं. 15, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—अपीलांट्स

बनाम

1. उषा देवी पत्नी }
2. प्रमोद कुमार पुत्र } स्व. जगदीश अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. सीमा देवी पुत्री }
4. सरपंच, ग्राम पंचायत मानकसर, पंचायत समिति, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
6. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय, सूरतगढ़

—रेस्पोण्डेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक अपीलांट
2. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : २९.०४.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स की ओर से जगदीश (मृतक) के वारिसान उषा देवी वगैरह के विरुद्ध यह अपील विरुद्ध नामान्तरण ग्राम पंचायत मानकसर, पंचायत समिति, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 06.09.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी, जिसके द्वारा ग्राम मानकसर तहसील [illegible] खसरा नं. 234/1 की 5.060 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से [illegible] के पति/पिता जगदीश पुत्र

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लेखराम के नाम से अंकित भूमि में से 1.012 है0 बारानी भूमि का पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 27.01.2020 के द्वारा अपीलांट्स को बहिस्सा बराबर का बेचान कर कब्जा सौंपे होने के बावजूद जगदीश पुत्र लेखराम की मृत्यु उपरान्त उनके नाम अंकित समस्त भूमि का नामान्तरण सं. 224 विरासतन द्वारा रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर का राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 06.09.2021 को स्वीकृत अंकन किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलांट्स का कथन है कि ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 234/1 की 5.060 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से रेस्पो. सं. 1 से 3 के पति/पिता जगदीश पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई साकिन मानकसर खातेदार के नाम अंकित भूमि में से 1.012 है0 भूमि अपीलांट्स ने जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 27.01.2020 को बहिस्सा बराबर खरीद कर मौका पर कब्जा प्राप्त कर लिया और उक्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु बैयनामा की प्रमाणित चित्रप्रति पटवारी हल्का को दे दी। अपीलांट आश्वस्त हो गये, लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज नहीं किया। इसके पश्चात् रेस्पो. सं. 1 से 3 के पति/पिता का स्वर्गवास हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उनके नाम अंकित समस्त भूमि का विरासतन नामान्तरण सं. 224 रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर अंकित किये जाने के पश्चात् रेस्पो. सं. 4 के द्वारा आदेश दिनांक 06.09.2021 अपीलांट्स को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित कर दिये गये। अपीलांट्स को अपनी जैर अपील भूमि की जमाबन्दी की नकल की आवश्यकता होने पर ई–मित्रा से दिनांक 17.06.2024 को निकलवाने पर जानकारी हुई कि ग्राम मानकसर के राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण सं. 224 दिनांक 06.09.2021 के द्वारा स्व. जगदीश के नाम से अंकित समस्त भूमि रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम से विरासतन अंकित कर दी गई, इसलिए अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2021 को निरस्त करते हुए अपीलांट्स के द्वारा जगदीश पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई साकिन मानकसर से पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 27.01.2020 के मुताबिक खरी[illegible] भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने व शेष भूमि रेस्पो. [illegible] के नाम से विरासतन अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अपील के साथ स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:39:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र, धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र, इन्तकाल सं. 224, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 27.01.2020 व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की।

अपील प्रस्तुत होने पर मियाद बिन्दु व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए, प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलांट्स के अधिवक्ता की इकतरफा बहस सुनी गई एवं ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड के विरासतन नामान्तरण सं. 224 निर्णय दिनांक 06.09.2021 द्वारा खसरा नं. 234/1 की कुल 5.060 है0 बारानी खातेदारी भूमि में रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम अंकित 107/345 हिस्सा प्रत्येक की भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पो. को स्थगन आदेश द्वारा पाबन्द किया गया। रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 से 3 दिनांक 26.07.2024 को स्वयं उपस्थित हुए और प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए, अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। बावजूद पंजीकृत सम्मन उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 20.11.2024 को रेस्पो. सं. 4 से 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी., धारा 5 मियाद अधिनियम और अपील में गुणावगुण पर बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराया व अपील के संलग्न इन्तकाल सं. 224, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 27.01.2020 व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 234/1 की 5.060 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से रेस्पो. सं. 1 से 3 के पति/पिता जगदीश पुत्र लेखराम के नाम अंकित भूमि में से 1.012 है0 भूमि अपीलांट्स ने जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 27.01.2020 से बहिस्सा बराबर खरीद कर मौका पर कब्जा प्राप्त किया था और नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए बैयनामा की प्रमाणित चित्रप्रति पटवारी हल्का को दे दी। खरीद की दिनांक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अपीलांट्स अपीलाधीन भूमि पर लगातार काबिज काश्त हैं। रेस्पो. सं. 1 से 3 के पति/पिता का स्वर्गवास हो जाने पर जगदीश के नाम अंकित भूमि का विरासतन नामान्तरण सं. 224 दिनांक 06.09.2021 ग्राम पंचायत के द्वारा रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम से कर दिया गया जिसमें अपीलांट्स की खरीदशुदा भूमि भी शामिल है। इस नामान्तरण से अपीलांट्स के हित प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वे इसमें हितबद्ध पक्षकार हैं, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बनाया, इसलिए धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है। जब अपीलांट्स को अपनी खरीदशुदा भूमि की जमाबन्दी की नकल की जरूरत हुई तो उन्होंने 17.06.2024 को जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर अपीलांट्स को जानकारी हुई कि जगदीश के स्वर्गवास उपरान्त उनके नाम अंकित समस्त भूमि का विरासतन नामान्तरण रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलांट्स की खरीदशुदा अपीलाधीन भूमि का नामान्तरण अपीलांट्स के नाम बहिस्सा बराबर व शेष भूमि का विरासतन नामान्तरण वारिसान के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। अपीलांट्स ने रेस्पो. सं. 2 से सम्पर्क किया तो उन्होंने इसके बारे में अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि गलती से समस्त भूमि वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई है। अपीलांट्स ने जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में देरी नहीं की। जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई, इसलिए न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए, अपील अपीलांट्स स्वीकार कर ग्राम मानकसर के राजस्व रिकॉर्ड के नामान्तरण सं. 224 स्वीकृत दिनांक 06.09.2021 को निरस्त करने व अपीलांट्स जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 27.01.2020 को खरीद की हुई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने व शेष भूमि रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम विरासतन दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथम बिन्दु धारा 96 सी.पी.सी. व धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय अपील के [illegible] से पूर्व किया जाना आवश्यक है। यह कथन अपीलांट का [illegible] साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अपीलाधीन ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 234/1 की 5.060 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से रेस्पो. सं. 1 से 3 के पति/पिता जगदीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पुत्र लेखराम के नाम अंकित 4.707 है0 भूमि में से 1.012 है0 भूमि अपीलांट्स ने जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 27.01.2020 को बहिस्सा बराबर खरीद की हुई है, लेकिन जगदीश पुत्र लेखराम के स्वर्गवास उपरान्त उसके नाम अंकित समस्त भूमि विरासतन रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम से ही दर्ज की गई है, जिससे अपीलांट्स के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं और वे अपीलाधीन आदेश में हितबद्ध पक्षकार भी हैं, इसलिए इन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप प्रतीत होने से अपीलांट्स का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन रेस्पो. द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं किया गया है और ना ही इस बाबत कोई शपथ–पत्र पेश किया गया है, बल्कि रेस्पो. सं. 1 से 3 स्वयं के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपील स्वीकार किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स नेकनीयत हैं और इनके द्वारा जानकारी न होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। जानकारी होते ही जानकारी से अन्दर मियाद नियमानुसार अपील पेश की गई है। अपीलांट्स स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं, इसलिए अपीलांट्स का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचारण किया जाना उचित समझते हैं।

अपील में अंकित तथ्य अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य बैयनामा दिनांक 27.01.2020 द्वारा और जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार रेस्पो. सं. 1 से 3 के पति व पिता के नाम से अंकित समस्त भूमि विरासतन रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम से ग्राम मानकसर के राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण सं. 224 दिनांक 06.09.2021 द्वारा अंकित किया जाना साबित है, जबकि वे अपने नाम से इस नामान्तरण द्वारा अंकित समस्त भूमि के बैयनामा के पश्चात् मालिक व काबिज नहीं थे। इस सम्बन्ध में रेस्पो. सं. 1 से 3 ने भी प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरण बा[illegible]मा समस्त भूमि का विरासतन गलत अंकित होने और अपील स्वीकार कर नामान्तरण को निरस्त किये जाने एवं बैयनामा के नामान्तरण के पश्चात् शेष रही भूमि का विरासतन नामान्तरण रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम से अंकित किये जाने का निवेदन किया है, जिससे

क्रमशः ..... पेज 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:59:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

स्पष्ट साबित है कि रेस्पो. सं. 1 से 3 के पति व पिता के द्वारा अपने नाम से अंकित भूमि में से 1.012 है0 भूमि बैयनामा दिनांक 27.01.2020 के द्वारा अपीलांट्स को विक्रय किये जाने के पश्चात् अंकित खातेदार यानि रेस्पो. सं. 1 से 3 के पति व पिता के नाम से शेष रही भूमि का ही वे विरासतन नामान्तरण अंकित करवाने के विधिक रूप से अधिकारी हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में और बैयनामा का रिकॉर्ड में नामान्तरण न होने के कारण अंकित खातेदार के नाम से चली आ रही समस्त भूमि का विरासतन नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है जो कि गलत एवं विधिविरुद्ध है, इसलिए अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मानकसर के द्वारा ग्राम मानकसर के राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नामान्तरण सं. 224 दिनांक 06.09.2021 को निरस्त किया जाकर मुताबिक बैयनामा दिनांक 27.01.2020 के अपीलांट्स के नाम से भूमि का अंकन किये जाने के पश्चात् शेष रही भूमि का विरासतन रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम से अंकन किये जाने का आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नामान्तरण सं. 224 दिनांक 06.09.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं जिसकी पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर ग्राम मानकसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 234/1 की 5.060 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में मृतक जगदीश पुत्र लेखराम जाति बिश्नोई सा. देह खातेदार के नाम से अंकित 107/115 हिस्सा भूमि में से मुताबिक पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 27.01.2020 भूमि का अंकन अपीलांट्स के नाम से किया जाकर शेष रही जगदीश पुत्र लेखराम की भूमि को विरासतन नामान्तरण द्वारा रेस्पो. सं. 1 से 3 के नाम से बहिस्सा बराबर का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के नाम से पारित किये जाते हैं, जिसकी पालना में अलग से तहरीर जारी की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.01 17:39:15 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 30.04.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)